

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 22(A)322/MPS/31/54  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13/01/2016

प्रमुख अभियन्ता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- अशोक नगर जिले की चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

---00---

मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 05 जनवरी 2016 में अशोक नगर जिले की चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद द्वारा चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना सैच्य क्षेत्र 20,000 हेक्टर (रबी) हेतु राशि रूपये 389.77 करोड़ (रूपये तीन अरब नवासी करोड़ सतहत्तर लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23/4700 (मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

13/1/16  
(व्ही.एस. टेकाम)

उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक 22(A)322/MPS/31/55  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 13/01/2016

- (1) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (NVDA)
- (2) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति कल्याण/कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- (3) उप सचिव (बजट), मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- (4) मुख्य अभियन्ता (बोधी) जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- (5) मुख्य अभियन्ता, राजघाट परियोजना, जल संसाधन विभाग, दतिया।
- (6) अधीक्षण यंत्री, राजघाट नहर मण्डल, झांसी।
- (7) कार्यपालन यंत्री, राजघाट वाई नहर डिसनेट संभाग, खनियाधाना
- (8) निज सचिव, मा. मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- (9) बैव मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, पाइकू, जल संसाधन विभाग, भोपाल। कृपया आदेश विभागीय वेबसाईट पर दर्ज करने का कष्ट करें।

13/1/16  
उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग